रजिस्ट्री सं० डी०(डी)—73 REGISTERED NO. D.(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1976 (पौष 13, 1897)
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1976 (PAUSA 13, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 11 दिसम्बर 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं:—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 11th December 1975:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
240.	सं० 50–ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०, नई दिल्ली के माध्यम से प्याज के निर्यात को सरणीबद्ध करना।
	No. 50-ETC (PN)/75, dated the 5th December 1975	Ministry of Commerce	Canalisation of export of onions through National Agricultural Co-operative Marketing Federation Ltd., New Delhi.
241.	सं० 51–ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अभ्रक की विभिन्न किस्मों, वर्गों और स्वरूपों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य/जहाज पर निःशुल्क कीमतों के प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूची और उनके निर्यात के लिए लागू अन्य शर्तें।
	No. 51-ETC (PN)/75, dated the 5th December 1975	Ministry of Commerce	Price Schedules showing F. A. S./F. O.B. prices of different varieties, grades and qualities of Mica and other conditions applicable to their export.
242.	सं० 128–आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 11 दिसम्बर, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	वर्ष अप्रैल, 1975—मार्च 1976 के लिए क्रम संख्या 44/5—अखबारी कागज—मुद्रण तथा लिखने के लिए कागज (लेड मार्क कागज को छोड़कर) जिसमें यांत्रिक काष्ठ लुगदी अन्तर्विष्ट है जो तन्तुक अंशों के 70 प्रतिशत की मात्रा से कम नहीं हैं के लिए आयात नीति।
	No. 128-ITC (PN)/75, dated the 11th December 1975	Ministry of Commerce	Import policy for Newsprint—Printing and writing Paper (excluding laid marked paper) which contains mechanical wood pulp mounting to not less than 70% of the fibre contents—S. No. 44/V for the year April, 1975—March, 1976.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	1
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	1
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	1
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	1

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	1
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	1
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	1
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 दिसम्बर 1975

सं० एच०-11013/2/75-जे० सी० एम०—सांख्यिकी विभाग की दिनांक 17/28 जुलाई, 1972 की अधिसूचना सं० एम०-13013/4/71-एन० एस० एस०-1 का अतिलंघन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा "सरकारी सांख्यिकी तथा सम्बद्ध रीतिविधान संबंधी प्रशिक्षण" विषयक सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है, जिसके कार्य इस प्रकार होंगे:—

(क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में परामर्श देना जिसमें पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम, प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों का प्रवर्ग, उनकी वृत्तिक पृष्ठ-भूमि, अर्हताएं, अनुभव और आयु शामिल हैं।

(ख) राज्य सांख्यिकी कार्यालयों द्वारा आरंभ किए गए/आरंभ किए जाने वाले प्राथमिक और मध्यवर्ती स्तर के कर्मकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम, अवधि और अन्य आवश्यकताओं की सिफारिश करना।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

अध्यक्ष

1. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा पदेन अपर सचिव, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली।

सदस्य

2. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बम्बई।
3. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश भोपाल
4. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी ब्यूरो, कर्नाटक, बंगलौर।
5. भारत का महापंजीयक, नई दिल्ली
6. निदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, शिमला
7. निदेशक, कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्थान, लाइब्रेरी, एवेन्यु, नई दिल्ली।
8. अध्ययन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्कूल के अध्यक्ष, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता।

सदस्य-सचिव

9. प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण), केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली।

3. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि दो वर्ष की अवधि के लिए समिति में रहेंगे।

4. समिति को सचिवालयीय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी।

वी० डी० आहूजा, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 दिसम्बर 1975

आदेश

सं. 7/11/75-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क के खंड (1) के उप-खंड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है:—

1. श्री वी० के० वेंकटरामन संयुक्त निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
2. श्री के० एस० कृष्णास्वामी, संयुक्त निदेशक, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।

ए० के० घोष, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1975

सं० 1/9/75-ई० पी० जेड—राष्ट्रपति, श्री जी० आई० अहूजा को, जो पहले तैरिक आयोग, बम्बई के कार्यालय में प्रशासन अधिकारी थे, 17 नवम्बर, 1975 के पूर्वाह्न से छः महीने की अवधि के लिए, विकास आयुक्त, सान्ता क्रूज इलैक्ट्रोनिक्स प्रोसेसिंग जोन, बम्बई के कार्यालय में 700—1300 रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए प्रशासन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

यू० आर० कुर्लेकर, उप-निदेशक

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1975

संकल्प

सं० 7-6/74-एफ० आर० वाई० (एफ० आई० पी० सी०)—राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा केन्द्रीय वानिकी आयोग की

सिफारिशों के फलस्वरूप स्थापित किए गए विभिन्न राज्य वन विकास निगमों की कार्यपद्धति में अखिल भारतीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य वन विकास निगमों की एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठित करने का फैसला किया गया है जिसके सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति होंगे।

अध्यक्ष

1. वन महानिरीक्षक तथा भारत सरकार के पदेन अपर सचिव।

सदस्य

2. राज्य वन विकास निगमों के प्रबंध निदेशक।
3. संयुक्त सचिव, ए० तथा आर० डी०, योजना आयोग।
4. उप वन महानिरीक्षक
5. निदेशक, आंतरिक वित्त, कृषि विभाग।
6. उप सचिव (उप वित्त सलाहकार) वित्त मंत्रालय।
7. निदेशक, कृषि पुनर्वित्त निगम ।

सदस्य सचिव

8. सहायक वन महानिरीक्षक, (एफ० आई०) कृषि विभाग।

कार्य:—समिति के कार्य नीचे दिए गए हैं:

1. विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करना।
2. निगमों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में निकट सम्पर्क स्थापित करना।
3. सामान्य समस्याओं का पता लगाना और ऐसी समस्याओं समस्याओं को हल करने के लिए सामान्य नीति बनाना।

4. वन विकास निगमों से संबंधित कोई अन्य मामला।

कार्यपद्धति सम्बन्धी नियम:—इस समिति की 6 महीने में कम से कम एक बैठक होगी।

2. समिति निगम-समूहों के विशेष हित के मामले पर विचार करने के लिए उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

3. अध्यक्ष की सलाह से सचिव समिति की प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान निर्धारित करेगा। कार्य-सूची पहले ही परिचालित कर दी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एस० के० सेठ, वन महानिरीक्षक तथा
पदेन अपर सचिव।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 नवम्बर 1975

स० एफ० 1-9/75-योजना II—लोक सभा द्वारा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 1978 तक कार्य करने हेतु निम्नलिखित संसद सदस्य चुने गए हैं:

1. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
2. श्री बाई एस० महाजन
3. श्री राम हेडाऊ
4. श्री शंकर दयाल सिंह ।

2. श्री एस० डब्लू० धाबे 31 मार्च, 1978 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु राज्य सभा द्वारा चुने गए हैं।

3. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता के कुलपति प्रो० एस० एन० सेन 31 मार्च 1977 तक भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए हैं।

4. श्री टी० वी० शिवनन्दन जो भारतीय औषध परिषद द्वारा 31 मार्च, 1975 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चुने गए थ, परिषद् का प्रतिनिधित्व तब तक करते रहेंगे जब तक कि परिषद द्वारा उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता।

5. निम्नलिखित व्यक्तियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के प्रतिनिधियों के रूप में 31 मार्च 1978 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में मनोनीत किया गया है

1. डा० जय कृष्ण
2. प्रो० के० ए० वी० पंडालै।

6. निम्नलिखित व्यक्ति भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 1978 तक के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य मनोनीत किए गए हैं:—

1. प्रो० अरुण डोंडे तपोधन, वी० पी० रोड, बान्द्रा, बम्बई-50।
2. श्री जी० रामाचन्द्रन गांधी, पीस फांउडेशन, नई दिल्ली
3. श्री ए० आर० दाबूद, 24 होटल डेलमार, मेरीन ड्राइव, बम्बई।
4. रेव बी० एन० पुथ, मवलाई, शिलांग-8 ।
5. प्रो० शांतिमय राय, 11/73 सुश्री पार्क, कलकत्ता-700019।
6. डा० राम लखन राम, प्रिंसिपल जी० डी० कालेज, बेगुसराय, बिहार।
7. प्रो० रवि जे० मथाई, भारतीय प्रबंध संस्थान वस्त्रापुर अहमदाबाद-15।
8. श्री टी० पी० पीताम्बरन, अध्यापक, एस० डी० पी० वाई० स्कूल, पल्लुरुथी, जिला एर्नाकुलम।
9. श्री ए० ई० टी० बेरो, सचिव, भारतीय स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद् बी० 27 निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013।
10. डा० ए० आर० किदवई, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली-110001।

11. श्रीमती मीरामाधवन, 21 राजघाट कालोनी, नई दिल्ली-110002।

12. प्रो० एम० शांतप्पा, निदेशक, केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास।

13. डा० के० एल० श्रीमाली, कुलपति, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी ।

14. डा० एम० एस० आदिशेषैया, कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।

15. डा० चन्द्रन डी० एस० देवनसेन, कुलपति, उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग।

16. श्रीमती आई० के० संधु, कुलपति, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।

17. श्रीमती उर्मिला हक्सर, 4/9 शांति निकेतन, नई दिल्ली।

18. श्री किरीट जोशी, 2 हेली रोड, नई दिल्ली।

19. डा० बी० डी० नाग चौधरी, कुलपति जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

7. श्री जे० पी० नायक अगले आदेशों तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्तूबर 1975

संकल्प

सं० 2 पी० जी० बी०(25)/73-पी० टी०—राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में 27 सितम्बर, 1974 के नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या 20 पी० जी० बी० (25)/73 पी० टी० में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री विनोद भाई बी० सेठ, पत्तन प्रभार मंत्री, गुजरात राज्य, अब अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए गुजरात राज्य के राज्यपाल के सलाहकार के स्थान पर गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

के० शिवराज, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय
(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1975

संकल्प

सं० 33(14)/74-नीति/बिजली-एक— 1 स्विचगियर परीक्षण और विकास केन्द्र, भोपाल समेत केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान की कार्यप्रणाली के पुनर्विलोकन करने के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए इसे स्थापित किया गया था उनको प्राप्त करने में यह संस्थान कहां तक सफल रहा है इस बात का मूल्यांकन करने के लिए तथा पांचवी और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत् विकास के बहुत कार्यक्रम के संदर्भ में इसके विकास की आगामी रूपरेखा क्या हो, इस बारे में सुझाव देने के लिए, भारत सरकार ने संकल्प संख्या 33(14)/74-नीति, दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 के अनुसार एक समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 जून, 1975 को प्रस्तुत की।

2. सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और उनको निम्नलिखित संप्रेक्षणों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया है:—

(1) केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान को एक शासी परिषद् के सर्वोपरि नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अन्तर्गत, समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन, एक पंजीकृत समिति के रूप में पुनर्गठित करते समय, यह बात सुनिश्चित की जाए की भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण और ऊर्जा मंत्रालय उसके कार्यक्रमों और कार्यक्लापों से पूरी तरह संबद्ध हों। संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों के मार्गदर्शन में और विद्युत् अनुसंधान के परिणामों का उपयोग विद्युत् पूर्ति उद्योग द्वारा हो, इस बात को सुनिश्चित करने में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की प्रभावकारी भूमिका होनी चाहिए।

(2) समिति ने जिस अनुसंधान कार्यक्रम की सिफारिश की है, वह कार्यक्रम यद्यपि केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए सापेक्ष महत्व का रहेगा तथापि समय-समय पर उपलब्ध हो सकने वाले साधनों को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकताओं की सुस्पष्ट योजना के अनुसार, इसे सुविधाजनक चरणों में, कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

(3) अनुसंधान और विकास के लिए एक युक्तिसंगत नीति हो और दुर्लभ साधनों का अधिकतम समुपयोजन हो इस हेतु, प्राथमिकताओं की सावधानीपूर्वक रूपरेखा बनाने की और दोहरे क्रियाक्लापों से बचने की आवश्यकता है। विद्युत् के क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों के अनुसंधान प्रयासों की स्पष्ट जानकारी रखनी होगी और जहां आवश्यक हो, वहां उन्हें व्यावहारिक स्वरूप देना होगा।

(4) विद्युत् के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास क्रियाक्लापों और उपस्कर निर्माण में लगे विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय, आदान-प्रदान और परस्पर कार्रवाई हो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी सांस्थानिक व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) कार्मिक नीतियों से संबंधित सिफारिशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। (परखे हुए प्रतिभावशाली व्यक्तियों का प्रवेश बाद में हो सके, इसकी व्यवस्था करना उपयोगी होगा।

3. समिति ने जो कार्य किया है और केन्द्रीय विद्युत् अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए वास्तव में सापेक्ष महत्व की जो एक पूरी खाका रूप रिपोर्ट दी है उसके लिए भारत सरकार अपना आभार प्रकट करती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को भेजी जाए।

ओटिमा बार्डिया, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 24th December 1975

No. 125-Pres./75.—The President is pleased to direct that, with immediate effect, following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Police Medal and the Police Medal published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India of 10th March, 1951, under Notification No. 4-Pres./51, dated the 1st March 1951 as amended from time to time :—

1. The following may be added as Sub-rule (d) of Rule 5 of the rules governing the award of President's Police Medal and Police Medal for gallantry :—

(d) When the award is made posthumously to a bachelor the monetary allowance shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son below 18 years or unmarried daugher, as the case may be.

2. The existing sub-rule (d) under Rule 5 will be re-numbered as Sub-rule (e).

K. BALACHANDRAN, Secy. to the President

MINISTRY OF PLANNING
DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 19th December 1975

No. H-11013/2/75-JCM.—In supersession of the Department of Statistics Notification No. M-13013/4/71-NSS.I, dated the 17/28th July 1972, the Government of India hereby reconstitutes the Advisory Committee on "Training in Official Statistics and Related Methdology", with the following functions :—

(a) to advise on the organisation of the training programmes of the Central Statistical Organisation including the duration of the courses, the syllabuses, the category of persons to be admitted, their professional background, qualifications, experience and age.

(b) to recommend uniform syllabuses, duration and other requirements for the training programmes for the primary and intermediate level workers undertaken/ to be undertaken by the State Statistical Bureaus.

2. The Committee will consist of the following members :

CHAIRMAN

(1) Director,
Central Statistical Organisation,
and *ex-officio* Addl. Secretary,
Deptt. of Statistics, New Delhi.

MEMBERS

(2) Director,
Economics and Statistics, Maharashtra,
Bombay.

(3) Director,
Economics and Statistics,
Madhya Pradesh,
Bhopal.

(4) Director,
Bureau of Economics &
Statistics, Karnataka,
Bangalore.

(5) Registrar General of India,
New Delhi.

(6) Director,
Labour Bureau, Ministry of Labour,
Simla.

(7) Director,
Institute of Agricultural Research,
Statistics, Library Avenue,
New Delhi.

(8) Dean of Studies Research Training School,
Indian Statistical Institute,
Calcutta.

MEMBER- SECRETARY

(9) Officer Incharge (Trg.),
Central Statistical Organisation,
New Delhi.

3. The representatives of the State Governments will serve on the Committee for a period of 2 years.

4. Secretarial assistance to the Committee will be provided by the Central Statistical Organisation.

V. D. AHUJA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 18th December 1975

ORDER

No. 7/11/75-CL-II.—In pursuance of sub-clause (ii) of Clause (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of the Government of India, in the Department of Company Affairs, for the purposes of the said Section 209A :

1. Shri V. K. Venkataraman, Joint Director, Department of Company Affairs, New Delhi.

2. Shri K. S. Krishnaswami, Joint Director, Department of Company Affairs, New Delhi.

A. K. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 12th December 1975

No. 1/9/75-EPZ.—The President is pleased to appoint Shri G. I. Ahuja, formerly Administrative Officer in the Tariff Commission, Bombay, to officiate as Administrative Officer on *ad-hoc* basis in the scale of Rs. 700—1300 in the office of the Development Commissioner, Santa Cruz Electronics Export Processing Zone, Bombay, for a period of six mnths with effect from the forenoon of 17th November 1975.

U. R. KURLEKAR, Dy. Director.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 19th December 1975

RESOLUTION

No. 7-6/74-FRY/FIPC.—With a view to ensuring an All India angle in the functioning of various State Forest Development Corporations established pursuant to the recommendation of the National Commission on Agriculture and in the light of the recommendations of the Central Forestry Commission, it has been decided to constitute a Central Coordination Committee of State Forest Development Corporation with the following composition :

CHAIRMAN

1. Inspector General of Forests and Ex-Officio Addl. Secretary to the Government of India.

MEMBERS

2. Managing Directors of State Forest Development Corporations.
3. Joint Secretary A & R D, Planning Commission.
4. Deputy Inspector General of Forests.
5. Director, Internal Finance, Department of Agriculture.
6. Deputy Secretary (Deputy Financial Adviser) Ministry of Finance
7. Director, Agriculture Refinance Corporation.

Member-Secretary

8. Assistant Inspector General of Forests, (FI) Department of Agriculture.

Functions :

The functions of the Committee will be as follows :—

1. To exchange ideas and experiences.
2. To establish a close liaison between the Corporations and the Central Ministries.
3. To identify common problems and Evolve a common strategy for solving such problems.
4. Any other matter relevant to Forest Development Corporations.

Rules of Business :

1. The Committee shall meet at least once in 6 months.
2. The Committee may appoint sub-Committees to consider such matters of special interest of groups of Corporations.
3. The Secretary will fix the date, time and place for every meeting of the Committee in consultation with the Chairman. The Agenda will be circulated in advance.

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SETH,
Inspector General of Forests and
Ex-officio Addl. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi-110001, the 29th November 1975

No. F.1-9/75-Plg.II.—The following members of Parliament have been elected by the Lok Sabha to serve as Members of the Central Advisory Board of Education upto 31st March 1978 :—

1. Smt. V. Jeyalakshmi
2. Shri Y. S. Mahajan,
3. Shri Ram Hedaoo
4. Shri Shankar Dayal Singh.

2. Shri S. W. Dhabe, has been elected by the Rajya Sabha to serve as a Member of the Central Advisory Board of Education upto 31st March 1978.

3. Prof. S. N. Sen, Vice-Chancellor, University of Calcutta, Calcutta, has been nominated as a representative of the Association of Indian Universities upto 31st March 1977.

4. Shri T. V. Sivanandam who was elected by the Medical Council of India to serve as a Member of the Central Advisory Board of Education upto 31st March 1975 will continue to represent the Council on the Board till his successor is elected by them.

5. The following persons have been nominated as representatives of the All India Council for Technical Education on the Central Advisory Board of Education upto 31st March 1978 :

1. Dr. Jai Krishna
2. Prof. K. A. V. Pandalai.

6. The following persons have been nominated by the Government of India as members of the Central Advisory Board of Education upto 31st March 1978 :

1. Prof. Arun Donde,
Topadhan V. P. Road,
Bandra,
Bombay-50.

2. Shri G. Ramachandran,
Gandhi Peace Foundation,
New Delhi.

3. Shri A. R. Dawood,
24 Hotel Delamar,
Marine Drive,
Bombay.

4. Rev. B. N. Pugh,
Mawlai,
Shillong-8.

5. Prof. Santimoy Roy,
11/73, Sunny Park,
Calcutta-700019.

6. Dr. Ram Lakhan Ram,
Principal,
G.D. College,
Beguserai, Bihar.

7. Prof. Ravi J. Matthai,
Indian Institute of Management,
Vastrapur,
Ahmedabad-15.

8. Shri T. P. Peethambaran,
Teacher,
S.D.P.Y. School,
Palluruthy District,
Ernakulam.

9. Shri A.E.T. Barrow,
Secretary,
Council for the Indian School,
Certificate Education,
B-27, Nizamuddin East,
New Delhi-110013.

10. Dr. A. R. Kidwai,
Chairman,
Union Public Service Commission,
New Delhi-110001.

11. Smt. Meera Mahadevan,
21 Rajghat Colony,
New Delhi-110002.

21 Rajkhat Colony,
Director,
Central Leather Research Institute,
Madras.

13. Dr. K. L. Shrimali,
Vice-Chancellor,
Banaras Hindu University,
Varanasi.

14. Dr. M. S. Adiseshiah,
Vice-Chancellor,
Madras University,
Madras.

15. Dr. Chandran D. S. Devanesen,
Vice-Chancellor,
North Eastern Hill University,
Shillong.

16. Smt. I. K. Sandhu,
Vice-Chancellor,
Punjabi University,
Patiala.

17. Smt. Urmila Haksar,
4/9, Shanti Niketan,
New Delhi.

18. Shri Kireet Joshi,
2, Hailey Road,
New Delhi.

19. Dr. B. D. Nag Chaudhuri,
Vice-Chancellor,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi.

7. Shri J. P. Naik, will continue to be Member-Secretary of the Central Advisory Board of Education till further orders.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi-110001, the 28th October 1975

RESOLUTION

No. 20-PGB(25)/73-PT.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 20-PGB (25)/73-PT, dated 27th September 1974 regarding re-constitution of the National Harbour Board, Shri Vinodbhai B. Sheth, Minister-in-Charge of Ports, Gujarat State will now represent Gujarat State instead of Adviser to Governor of Gujarat State for the remaining period of its term.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 19th December 1975

RESOLUTION

No. 33(14)/74-Policy/EL.I.—The Government of India set up a Committee to review the working of the Central Power Research Institute including the Switchgear Testing and Development Station, Bhopal, to assess the extent to which the Institute had succeeded in achieving the objectives with which it was set up as also to suggest the lines on which its future development should be planned in the context of the massive power development programme in the Fifth and subsequent Five Year Plans, *vide* Resolution No. 33(14)/74-Policy, dated the 21st October, 1974. The Committee submitted its report on the 3rd June 1975.

2. Government have considered the recommendations of the Committee and have decided to accept them subject to the following observations:

(i) While reorganising the Central Power Research Institute as a Society registered under the Registration of Societies Act, under the overall control, supervision and guidance of a Governing Council, it has to be ensured that the Bharat Heavy Electricals Ltd., the Central Electricity Authority and the Ministry of Energy are closely associated with its programmes and activities. The Central Electricity Authority should have an effective role in guiding the research programmes at the Institute and in ensuring the utilisation of the results of research by the power supply industry.

(ii) Whereas the Research programme recommended by the Committee should remain the perspective for the development of the Central Power Research Institute, it may be taken up in convenient phases in accordance with a well-defined scheme of priorities taking into account the resources likely to be available from time to time.

(iii) A rational Research and Development policy with optimum utilisation of scarce resources warrant a careful delineation of priorities and avoidance of duplicatory activities. The research efforts in various sectors in the field of power would have to be clearly identified and where necessary, given a practical orientation.

(iv) There should be effective institutional arrangements to ensure coordination, feed-back and inter-action amongst the various organisations engaged in Research and Development activities and equipment manufacturers in the field of power.

(v) The recommendations regarding personnel policies should be carefully studied. It would be useful to provide for lateral entry of proven talent.

3. The Government of India wish to express their deep appreciation of the work done by the Committee and for presenting a useful Report, which is, in essence, a blue-print in perspective for the development of the Central Power Research Institute.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Union Territory Administration and all other concerned.

OTIMA BORDIA,
Director (Power)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976